विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 696/एड०जी०-1/2020 इलाहाबाद दिनांकित 13.01.2020 के अनुपालन में पारिवारिक न्यायालय में कुल 01(एक) परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है, जिसके संबंध में शासनादेश स० 102/07-न्याय-2-2015-728/86 अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय सिद्धार्थनगर दिनांक 18 जून, 2015 के द्वारा निम्न अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. आवेदक समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में से स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउंसिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी आएगी।
2. आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।
3. परामर्शदाता का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
4. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
5. नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हों, वे अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 06.03.2020 तक प्रशासनिक कार्यालय जिला जज, सिद्धार्थनगर में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

D. K. Tiwari
26/02/2020

दिनांक-26.02.2020

(ध्रुव कुमार तिवारी)
प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय
सिद्धार्थनगर ।